

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

गुरदेव सिंह बनाम अंग्रेज कौर आदि

धारा अन्तर्गत 88, 53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 77/2021

निर्णय दिनांक :- 02.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजु व प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता मदनलाल पटीर, प्रतिवादी संख्या 21/2 के अधिवक्ता भगवान दास पेश होने आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 37 एफ ए हल्का धरिंगावाली भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 43/37 के मु.न. 8, 11, 33, 55/2 की 10.423 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 16 के हक हिस्से की का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकवा	किस्म	ल
1	गुरदेव सिंह पुत्र छिया सिंह उर्फ छिन्दा सिंह जाति तरखान, निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर।	8	11	0.253 हैक्टर	नहरी	1
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	1
			19	0.253 हैक्टर	नहरी	1
			20	0.253 हैक्टर	नहरी	1
			18/1	0.137 हैक्टर	नहरी	1
			17/1	0.013 हैक्टर	नहरी	0.0
			16/1	0.013 हैक्टर	नहरी	0.0
2	शेर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान, निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर।	8	16/2	0.240 हैक्टर	नहरी	1
			17/2	0.240 हैक्टर	नहरी	1
			18/2	0.116 हैक्टर	नहरी	0.0
			22/1	0.177 हैक्टर	नहरी	1

इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 03/11/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	—
स्टाम्प इयूटी	500	00	मेहनताना वकली पर	00	—
योग	504	00	योग	00	00



श्रीकरणपुर (आर.ए.एस.)